न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

दमन सिंह बनाम चेत कौर वगैरा

उपस्थित :- श्री सुखदेव सिंह बुट्टर वकील वादी
श्री राजीव जग्गा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2
पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी.)

प्रकरण संख्या - 150/2012 निर्णय दिनांक - 26.03.2019

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि यह कि वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अनवानी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92(ए), 209 आर.टी.एक्ट के तहत इस आशय के अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया है कि चक 32 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 1 पत्थर नं. 179/421 के किला नं. 25 का 0.232 एवं मुरब्बा नं. 18 पत्थर नं. 183/424 का किला नं. 1 ता 15 का रकबा कुल 3.648 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी की माता का 0.232 हैक्टर रकबा था। जो रकबा प्रतिवादी संख्या 2 का स्वयं खरीदशुदा था। जिसका उपहार पत्र दिनांक 01/06/2012 को प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया। जिसको शुन्य घोषित करवाने व हिस्सा की घोषणा करवाने हेतु वाद पत्र पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने उक्त अनवानी वाद पत्र के अभिवचनों में उपरोक्त अनुसार ही तथ्य अंकित करते हुए वादी द्वारा अपने वाद पत्र में इस आशय का अनुतोष चाहा कि "प्रतिवादी सख्या 2/प्रार्थी के पक्ष में करवाया गया साजिशी, नुमाईशी दस्तावेज उपहार पत्र दिनांक 01/06/2012 को प्रारम्भ से शुन्य निष्प्रभावी, बिला बदल, वादी के अधिकारी पर बेअसर व प्रभावशुन्य घोषित करने व वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने का प्रस्तुत किया है। वादी का वाद पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत होने के कारण आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। क वादी को मौजूदा वाद प्रतिवादीगण मुजीब के विरूद्ध प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक हासिल नहीं है एवं ना ही वाद पत्र के अभिवचनों के अवलोकन मात्र से कोई वाद हेतुक प्रतिवादीगण मुजीब के विरूद्ध प्रकट होता है इसलिए भी वाद वादी प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। वाद पत्र में अभिलिखित अभिवचनों के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद का मुख्य आधार उक्त भूमि को संयुक्त परिवार की सम्पति होना कथन कर प्रस्तुत किया है इसके अलावा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चेतकौर की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसकी हर प्रकार से उपहार करने का अधिकार चेतकौर को पूर्णतया प्राप्त है। उक्त भूमि वाद पत्र के अभिवचनों से ही पैतृक सम्पति होना साबित नहीं है वरन चेतकौर की स्वयं अर्जित भूमि होने के कारण वाद पत्र उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों से

लगातार.....2

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

बाधित है इसलिए वादी का वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्ती के योग्य है। वादी को किसी भी दिनांक को कोई वाद कारण मौजूदा वाद प्रतिवादीगण मुजीब के विरूद्ध प्रस्तुत करने का हासिल नही है क्योकि उक्त भूमि में वादी का कोई हक एवं हिस्सा नहीं है। इसके अलावा पंजीकृत दस्तावेज उपहार पत्र पंजीबद्ध दि. 01/06/2012 को बिना सक्षम दीवानी न्यायालय में निरस्त करवाये वादी का मौजूदा वाद नाकाबिले चलने के है। वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर दीवानी न्यायालय को प्राप्त है इसलिए वादी का वाद पत्र विधि बाधित होने के कारण प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र की पैरा संख्या 5 में यह अभिवचन किया है कि उक्त विवादित भूमि नगरपालिका श्री विजयनगर के क्षेत्र में है इस कारण भी उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर दीवानी न्यायालय को प्राप्त है इसलिए वादी का वाद पत्र विधि बाधित होने के कारण प्रथम दृष्टया काबिले निरस्ती के है। मौजूदा वाद वेग तथ्यों पर आधारित होने के कारण बिना गुणावगुण पर विचारण किये इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। जनाब की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब वादी वकील द्वारा पेश कर प्रार्थीया/प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी/प्रार्थ की ओर से गलत तथ्यों का अविधिक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है तथा शपथ पत्र भी संलग्न नहीं है। वादी का वाद विधि बाधित नहीं है। जबकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है। जो वाद ग्रस्त रकबा रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है इसलिए राजस्व न्यायालय के विचारणीय प्रकरण विधिक है। प्रकरण तनकियात कायम होकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पुश्तैनी या स्वयं अर्जित होना साक्ष्य का प्रश्न है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज करने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

लगातार.........3

Priyanka
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो व कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और निष्कर्ष रूप में पाया कि वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्रआदेश 7 नियम 11 में कथित अभिवचनों के अवलोकन से मौजूदा वाद पत्र को खारिज करने हेतु कोई मामला नहीं बनता है इस न्यायालय को मौजूदा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर मौजूदा वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अपने समस्त उजरात अपने लिखित कथन में उठाने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तथ्य साक्ष्य के प्रश्न है। इस स्तर पर विनिश्चय करना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. की परिधी मे नही आते है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। वाद पत्र का निस्तारण वाद पत्र में वर्णित पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.03.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner